भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2797

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए औद्योगिक स्मार्ट शहर

2797. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती भारती पारधीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में विनिर्माण के लिए "पॉकेट्स ऑफ़ एक्सीलेंस" बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को सिद्ध करता है;

(ख) क्या प्रारंभिक चरण के गलियारों में 74 प्रतिशत भूमि आवंटन भारत की औद्योगिक अवसंरचना में उच्च वैश्विक विश्वास को दर्शाता है;

(ग) क्या "प्लग-एंड-प्ले" मॉडल ने नए युग के उद्यमियों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है;

(घ) क्या ये गलियारे विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में औद्योगिक विकास को प्रभावी ढंग से विकेन्द्रीकृत कर रहे हैं और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार का सृजन कर रहे हैं;

(ङ) क्या इन शहरों में 24/7 विद्युत और विश्वस्तरीय उपयोगिताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि भारतीय विनिर्माण वैश्विक स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धी बना रहे;

(च) क्या एनआईसीडीपी "जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट" विनिर्माण विजन को प्राप्त करने के लिए सबसे मजबूत आधार के रूप में कार्य करता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): जी, हां। भारत सरकार ने अगस्त, 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के

विकास को अनुमोदन प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप नए औद्योगिक स्मार्ट शहर/क्लस्टर का निर्माण करना है ताकि वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। ये 12 औद्योगिक नोड्स महाराष्ट्र के दीघी और आंध्र प्रदेश के कोप्पार्थी और ओर्वाकल सहित 10 राज्यों में फैले हुए हैं।

चार पूर्ण हो चुके औद्योगिक स्मार्ट शहरों - धोलेरा, शेंद्रा-बिदकिन, आईआईटी ग्रेटर नोएडा और आईआईटी विक्रम उद्योगपुरी - में लगभग 75% औद्योगिक भूमि (4,436 एकड़) निवेशकों को आबंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक के तुमकुरु (260 एकड़) और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (40 एकड़) में भी भूखंड आबंटित किए गए हैं। यह निवेशकों की गहरी रुचि और भारत के औद्योगिक अवसरंचना में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

प्लग-एंड-प्ले मॉडल ने भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का समाधान करके निवेशकों के लिए प्रवेश बाधाओं को व्यापक रूप से कम कर दिया है। परियोजना प्रस्तावों पर आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन के लिए तभी विचार किया जाता है जब संबंधित राज्य सरकार यह पुष्टि कर दे कि आवश्यक भूमि का कम से कम 80% अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे भूमि संबंधी अनिश्चितताएं कम हो जाती हैं। परियोजना की शुरुआत में ही एक भूमि आबंटन नीति भी तैयार की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली (ईएलएमएस) के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध आबंटन सुनिश्चित हो, जिससे उद्योगों को बिना किसी विलंब के प्रचालन शुरू करने में सहायता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए छोटे आकार के भूखंड आरक्षित किए गए हैं, साथ ही नवयुग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की नीतियों के तहत सहायक प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक स्मार्ट शहर, टियर-2 और टियर-3 शहरों में तथा आस-पास के क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, जिनमें दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र), ओर्वाकल और कोप्पार्थी (आंध्र प्रदेश) तथा आईआईटी-विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) शामिल हैं। इनका विकास पारंपरिक महानगरों से परे संतुलित और विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इससे लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के रोजगार शामिल हैं। इससे टियर-2 और टियर-3

शहरों में आर्थिक कार्यकलापों में तेजी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित औद्योगिक शहरों में 24×7 भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सक्षम सुविधाएं और अन्य विश्वस्तरीय अवसंरचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीवेज शोधन संयंत्र, जल शोधन संयंत्र और समान अपशिष्ट शोधन संयंत्र जैसी साझा अवसंरचनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे अलग-अलग इकाइयों की अपनी अलग सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता कम हो जाती है और इससे प्रारंभिक पूंजीगत व्यय और निर्धारित लागत में भी कमी आती है, जो भारतीय विनिर्माण की वैश्विक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है।

भारत द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) स्कीम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दोषरहित (जीरो डिफेक्ट) और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव (जीरो इफेक्ट) वाले उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। एनआईसीडीपी में हरित निर्माण मानदंडों, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे दीर्घकालिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिससे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले उच्च गुणवत्ता उत्पादन के "जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट" विनिर्माण विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन पहलों के तहत, शेंद्रा-बिदकिन में 12,000 वर्ग फुट का क्षेत्र, राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (एनटीएच) को नमूना संग्रह केंद्र और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए आबंटित किया गया है।

*****